न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 165/25 तारीख 17/6/25

जीतमल पुत्र किशना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पुत्र नाथु जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. कैलाश चन्द्र दतक पुत्र रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 15/7/25

प्रार्थना पत्र **जीतमल पुत्र किशना जाति धाकड निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री पिंकोश धाकड द्वारा** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 514/443 रकबा 0.2104 हैक्टैयर भूमि सामलाती** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 514/443 रकबा 0.2104 हैक्टैयर भूमि सामलाती** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 165/25 तारीख 17/6/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....165........../ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

जीतमल पुत्र किशना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पुत्र नाथु जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. कैलाश चन्द्र दतक पुत्र रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

..................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 514/443 रकबा 0.2104 हैक्टैयर भूमि सामलाती** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा